

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

परिक्षेत्र अलीगढ़।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार अलीगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के सम्बंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है:-

1-पुलिस बल के संगठन का कार्य तथा कर्तव्य का विवरण:-

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा-02 के अनुसार-पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं, जो पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उनको अपने अधीनस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बंध बनाये रखना चाहिये और जिसके लिए उन्हें तत्पर रहना चाहिए। उन्हें कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले के अधीक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा-03 के अनुसार-पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र में अपराधों के के साधारण पर्यवेक्षण के लिए दायित्वाधीन है। उन्हें यह देखना चाहिये कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये हैं और जिलों का आपस में सहयोग पभावी है। इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ उन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षकके प्रारूप संख्या-138 कके अधीन डकैती, हत्या, लूट, विष प्रयोग, प्रकीर्ण मामलों का रजिस्टररखना चाहिए। वह अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध) को पेश करेंगे, जिसमें कि उनके रेंज से सम्बंधित कोई भी ऐसा मामला होगा जिसे कि उनके विचार में पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध) को सूचित करना चाहिए, प्रत्ये मामले की सक्षिप्त विशिष्टियों को देखते हुए उन्हें डकैती के कथनों को संलग्न करना चाहिए। असामान्य मामलों में अपराध विशेष की रिपोर्ट को देखेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक के लिए जो भी मामले आवश्यक प्रकृति के हों तथा जिसमें सरकार को तुरन्त सूचना अपेक्षित हो जैसे गम्भीर, शान्ति भंग, यूरोप व भारतीयों के मध्य टकराव तथा राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण विषयों को वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचना तत्काल दी जायेगी किन्तु यथा सम्भव पुलिस उपमहानिरीक्षक वह माध्यम होंगे जिसके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक(अपराध) सूचना प्राप्त करेंगे। जिले के पुलिस प्रशासन को वार्षिक विषयों को वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचना तत्काल दी जायेगी किन्तु यथा सम्भव पुलिस उपमहानिरीक्षक वह माध्यम होंगे जिसके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) सूचना प्राप्त करेंगे। जिले के पुलिस प्रशासन को वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात पुलिस उपमहानिरीक्षक को अपने सम्पूर्ण परिक्षेत्र के लिए समस्त विषयों पर टिप्पणी सहित जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। एक पुर्नविलोकन रिपोर्ट तैयार करके पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को भेजी जायेगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामंजस्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका समय-समय पर निरीक्षण करेंगे, इसके अतिरिक्त वह परिचित प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों से सम्पर्क में रहेंगे तथा उन्हें प्रयोग के तौर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अंगीकृत करेंगे।

1-क-परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन:-

अलीगढ़ परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्नप्रकार से है-

पुलिस उप महानिरीक्षक	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़
	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद एटा
	पुलिस अधीक्षक जनपद हाथरस
	पुलिस अधीक्षक जनपद कासगंज

1-ख-परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण:-

क्र०सं०	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1	सहायक रेडियो अधिकारी	परिक्षेत्र में संचारव्यवस्था को सुचारुरूप से संचालित करना व अधीनस्थोंपर नियंत्रण बनाये रखना।	पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र।

2- पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:-

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, 2000, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनदेशों के अन्तर्गत पुलिस उपमहानिरीक्षक के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है।

2-क-पुलिस अधिनियम:-

धारा	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तियाँ एवं दायित्व
7	संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये जाये, अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षकगण एवं सहायक महानिरीक्षकगण और जिला पुलिस अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत निलम्बित या अवनत कर सकते हैं, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल व उपेक्षावान पायें या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जायें या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या सेवकगण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है।

2-ख- पुलिस रेगुलेशन:-

प्रस्तर	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तियाँ एवं दायित्व
391	परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अस्थाई रूप से अपने एक एक जिले के पुलिस वल को अन्य जिलों के निरीक्षक ऊपर की पंक्ति के न होने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाकर डकैती के विरुद्ध अभियान चलाने या मेले जैसे प्रयोजनों के लिए वृद्धि करने के लिए सक्षम है। अतिरिक्त पुलिस के लिए पुलिस अधीक्षक को परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक मेला व समारोहों के लिए नियतकालीन अपेक्षाओं के लिए जिनके लिए साधारण तथा भारी संख्या में बलों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त समय से सूचना दी जानी चाहिए।
434	निरीक्षकों की पदोन्नति वेतनवृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा विनियमित होती है। मूल नियम 25 के अधीन दक्षता अवरोध के परे वृद्धियों की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक है। वार्षिक वृद्धियों के रोकने का आदेश मूल नियम 24 के अधीन अधीक्षक द्वारा दिया जा सकेगा।
435	रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति के प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति किये गये उप निरीक्षकों का प्रथमतः परीक्षण तथा साक्षात्कार उनके पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
439(1)	अपन वार्षिक निरीक्षण के दौरे के अनुक्रम में परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे कि सभी उप निरीक्षकों में जो निरीक्षक

	पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किये गये हैं, वर्ष के दौरान किस रीति से कार्य किया है, तथा उनकी सामान्य ख्याति क्या है? उस जिले से सम्बंधित मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक से पूछताछ करते हुए उनसे उन थानों का निरीक्षण करते हुए जहाँ वे तैनात हो, तब सम्भव हो व्यक्तिगत साक्षात्कार करके कदम उठायेगें। प्रत्येक रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक प्रत्येक अधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपनी राय अभिलिखित करेंगे कि क्या वह इस बात की संस्तुति करते हैं कि उसका नाम अनुमोदित सूची में बना रहे या उस हटा दिया जाय।
439(4)	जब कभी पुलिस उप महानिरीक्षक अनुमोदित सूची से किसी भी नाम के हटाने की सिफारिश करें तो प्रश्नगत अधिकारी की पदोन्नति पर तब तक विचार न किया जाए , जब तक समिति न बुलायी जाय तथा सिफारिश पर कोई कार्यवाही करने का निर्णय न लें।
442	जब किसी अधिकारी की प्रोन्नति के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित हो तो उस अधिकारी तथा किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, चरित्र पत्रावलियां अधिक्रमण का कारण देते हुए टीपों सहित पुलिस उप महानिरीक्षक के पास भेजी जायेगी।
445	उ0नि0 सिविल पुलिस पाठयक्रम में प्रवेशार्थ आरक्षियों तथा मुख्य आरक्षियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षाएँ सभी जिलों में एक पूर्व निर्धारित तिथि को मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध के अधीन संचालित की जाती है, जो उनकी जॉच तीन पुलिस अधीक्षकों के बोर्ड से करायेगें। तदोपरान्त एक बोर्ड जो परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा नामजद पी0ए0सी0 के एक कमाण्डेन्ट व सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से गठित होगा, प्रत्येक जिले का दौरा करके उन सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों की समीक्षा करेंगे जो परीक्षा में अर्ह हुए हैं। इस आशय से अभ्यर्थियों की सामान्य ड्रिल व शारीरिक परीक्षण की परीक्षा भी की जायेगी। इस प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा, चरित्र पंजी की समीक्षा तथा शारीरिक परीक्षा के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थी अन्तिम चयन हेतु परिक्षेत्र के नामजद व्यक्ति माने जाते हैं। परिक्षेत्र के नामित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा केन्द्रीय रूप से तैयार किये गये प्रश्न पत्रों के आधार पर होती है। जिनका मूल्यांकन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षकों द्वारा बोर्ड गठित करके कराया जाता है।
449	सवार पुलिस के सिवाय मुख्या आरक्षियों के पद पर प्रोन्नतियां पुलिस उप महानिरीक्षक के सामान्य नियन्त्रण के अधीन वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
464	पारितोषिक में प्राप्त अनुदान प्रान्तीय होता है, किन्तु रिजर्व के लिए उपबन्ध कर दिये जाने के पश्चात यह पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा विभाजित जो कि विशेष मामलों में बड़े इनामों में देने के लिए धन रक्षित रखें हुए जिलों अनुभागों में उसे आवंटित कर देते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक बचत पारितोषिक का पुर्नवियोजन करने के लिए प्राधिकृत है।
465	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं दोष सिद्धि हेतु 12000/ रूपये की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।
479(ग)	पुलिस उप महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ अस्थायी तथा स्थायी निरीक्षकों की पंक्ति के तथा उसके नीचे के पंक्ति के सभी अधिकारियों को दण्डित कर सकेंगे।
490(9)	ऐसे सभी मामलों में जिसमें वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक या उप निरीक्षक की पदच्युति या उसके सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव करें, उस मामले के अन्तिम आदेश हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस उप महानिरीक्षक, को अग्रसातिर करेंगे।
500(ख)	यदि अधिकारी जिसके आचरण की निन्दा की गयी है, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक स्तर का हो तो जॉच रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।

508(ग)	पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसके विरुद्ध वेतन या प्रोन्नति रोकने का कोई आदेश अध्याय 30 के अधीन पारित किया गया है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का आदेश प्राप्त है यदि वह आदेश पुलिस अधीक्षक का हो। यह अपील आदेश की प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर होनी चाहिए।
520(5)	पुलिस उप महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अन्दर किसी भी अराजपत्रित प्राधिकारी का स्थानान्तरण कर सकते हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक सभी निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और आरक्षियों को अपने सम्भाग में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
525	पुलिस उपमहानिरीक्षक सिविल पुलिस के उन आरक्षियों की जिनकी सेवा 02वर्ष से अधिक किन्तु अधिक 10वर्ष से कम की हो अथवा शसस्त्र पुलिस बल के आरक्षियों की जिनकी सेवा 02वर्ष से कम की न हो, बल की किसी शाखा में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
537	पुलिस उप महानिरीक्षक अलग-अलग मामलों में परिवीक्षाधीन किसी अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि को 01वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए विस्तार कर सकेंगे।

2-ग- दण्ड प्रक्रिया संहिता:-

धारा	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तियां एवं दायित्व
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

2-घ- उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991:-

धारा	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तियां एवं दायित्व
20(1)	ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके विरुद्ध नियम 04 के उपनियम(1)के खण्ड(क)के उपखण्ड(1)से(3)और खण्ड ख के उपखण्ड(1)से(4)में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाय तो ऐसे दण्ड के आदेश के विरुद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र को अपील कर सकता है। यदि मूल आदेश वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उप नियम(4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो।

2-ड-संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य:-

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर पर समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस उप महानिरीक्षक को दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिनके आधार पर उनके द्वारा अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

2-च-पुलिस उप महानिरीक्षक के अपेक्षित कर्तव्य:-

- 1- अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करना।
- 2- अपने कार्यक्षेत्र में अपराधों की रोकथाम तथा उस पर नियन्त्रण और अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध डेटावेस तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- 3- अपने कार्यक्षेत्र में घटित समस्त स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की विवेचनाओं की गहन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण घटनास्थलों का निरीक्षण करना।
- 4- अपने कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवं अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
- 5- अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों की आन्तरित सुरक्षा योजनाओं का अद्यावधिक कराकर उन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- 6- उन आन्दोलनों, जिसमें शान्तिभंग हो अथवा भंग होने की आशंका हो, के विषय में कार्य प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
- 7- समाज के दलित व दुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
- 8- सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुनने व उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु उपलब्ध रहना। किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपालन के कारण किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करना।
- 9- अपने कार्य क्षेत्र में व्यापक भ्रमण करना एवं समय-समय पर संवेदनशील स्थानों पर जनता की समस्याओं को सुनने एवं उनके निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं विशेष अपराधों की समीक्षा हेतु रात्रि हॉल्ट करना।
- 10- अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालय, पुलिस लाईन्स आदि का स्थायी आदेशों के अनुसार निरीक्षण करना।
- 11- पुलिस बल में अनशासन बनाये रखना तथा उसमें सुधार लाना।
- 12- नियन्त्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याण की ओर उपर्युक्त ध्यान देना।
- 13- शासन एवं पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित सभी प्रशासनीय एवं वित्तीय दायित्वों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- 14- ऐसे अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा सौंपे जाये उनका निर्वहन करना।
- 15- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों जनता के प्रति व्यवहार में आशातीत सुधार लाना।
- 16- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु केस में दिये गये प्रत्येक दिर्नेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाना तथा प्रत्येक आकस्मिक निरीक्षण में जो क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक तथा स्वयं द्वारा दिये जाय, में अनुपालन सम्बन्धी निरीक्षण नोट अंकित करना।
- 17- उपलब्ध पी0ए0सी0 का आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के जनपदों को अस्थायी आवंटन।
- 18- परिक्षेत्र के किसी जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के अन्य जनपदों से पुलिस बल उपलब्ध कराना।
- 19- अपराध नियन्त्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य व अन्य परिक्षेत्रों से परस्पर समन्वय बनाये रखना।
- 20- पुलिस मुख्यालय से कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य उपयुक्त आवंटन।
- 21- जनपदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन।
- 22- परिक्षेत्रीय पुलिस बल का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति सम्बन्धी कार्य।
- 23- शासन व पुलिस महानिदेशक मुख्यालय व पुलिस महानिरीक्षक जोन के निर्देशों का जनपदों में अनुपालन सुनिश्चित कराना।

2-छ-पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जनपदों के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण:-

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम-पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक द्वितीय-आंकिक शाखा	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक तृतीय-पुलिस लाइन	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक चतुर्थ-अभियोजन शाखा	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक पंचम-अपराध	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्ठम-जनपद का समान्य पुलिस प्रशासन	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्ठम-1-जनपद में नियुक्त अधिकारियों के सम्बंध में टिप्पणी	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्ठम-2-जनपदों में प्राप्त प्रा0पत्रों,शिकायतों का निस्तारण	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्ठम-3-अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षणों की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा।	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्ठम-4-अधिकारियों के दौरों की समीक्षा।	वार्षिक(जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्ठम-5-थानाध्यक्षों की मीटिंग।	वर्ष में दोबार(जनवरी-जून) (जुलाई-दिसम्बर)
शीर्षक षष्ठम-6-जनप्रतिनिधियों से भेंट	वर्ष में एक बार
शीर्षक षष्ठम-7-पुलिस पेंसनर्स बोर्ड।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक सप्तम-भवन।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक षष्ठम-7-पुलिस पेंसनर्स बोर्ड।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक षष्ठम-7-पुलिस पेंसनर्स बोर्ड।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक षष्ठम-7-पुलिस पेंसनर्स बोर्ड।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-1-महिला प्रकोष्ठ।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-2-विशेष जाँच प्रकोष्ठ।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-3-जनपद अपराध अभिलेख व्यूरो।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-4-फील्ड यूनिट जनपद।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-5-(अ) जिला नियन्त्रण कक्ष।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-5-(ब) नगर नियन्त्रण कक्ष।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक नवम-स्थानीय अभिसूचना इकाई।	वार्षिक(अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक दशम-थानों का निरीक्षण।	जनवरी से जून 02 थाने जुलाई से दिसम्बर 02थाने

3- निर्णय लेने की प्रक्रिया की कायविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर।

3क- शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया।

3क(1)पुलिस उप महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया।

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1-	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षकों को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना।	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	अविलम्ब
2-	प्रार्थना पत्रों को डाक बही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षकों को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।	पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	एक दिवस में
3-	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	दो दिवस में
4-	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना।	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	सात दिवस में
5-	सम्बंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	एक दिवस में
6-	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अन्तिम आदेश करना।	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	एक दिवस में
7-	प्रार्थना पत्र मय जाँच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	एक दिवस में
8-	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	एक दिवस में

3क(2)पुलिस उप महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया।

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1-	पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के गोपनीय सहायक द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना।	गोपनीय सहायक द्वारा	अविलम्ब

2-	गोपनीय सहायक द्वारा लिफाफे को खोला जाना।	गोपनीय सहायक द्वारा	अविलम्ब
3-	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना।	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	एक दिवस में
4-	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर व सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	अविलम्ब
5-	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	दो दिवस में
6-	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना।	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	15 दिवस में
7-	सम्बंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना।	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	एक दिवस में
8-	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अन्तिम आदेश करना।	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	एक दिवस में
9-	प्रार्थना पत्र मय जाँच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	एक दिवस में
10-	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव।	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	एक दिवस में

3क(3)परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण:-

पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में सम्बंधित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना।	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षकों द्वारा	एक दिवस में
पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना।	वाचक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	एक दिवस में
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना।	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षकों द्वारा	दस दिवस में

क्रमागत आख्या का प्राप्त होना।	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षकों द्वारा	प्रथम आख्या 10 दिवस में शेष 01माह के अन्तराल पर
क्रमागत आख्या में प्राप्त कर्मियों पर आपत्तियों को प्रेषित किया जाना।	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	07 दिवस में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कर्मियों पर आपत्तियों का निराकरण।	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षकों द्वारा	15 दिवस में
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त पत्रावली बन्द किया जाना।	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	

4-कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्ड।

4-क-परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण:-

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना।	15 दिवस में
2	पुलिस उपमहानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराना।	15 दिवस में

4-ख-पुलिस आचरण के सिद्धान्त:-

- 1- भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना।
- 2- बिना किसी भय, पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना समस्त कानूनों का दृढता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
- 3- पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
- 4- कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम से जहाँ तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास, यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
- 5- पुलिस जन क मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- 6- पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जन साधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं , जिनकी विधान में सामान्य नागरिकों से अपेक्षा की है।
- 7- प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- 8- पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
- 9- प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
- 10- हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
- 11- पुलिस जन को व्यक्ति तथा प्रशासनिक जीवन में विचार वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।

- 12- पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
- 13- सर्व धर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5-कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश निर्देशिका व अभिलेख।

क्र०सं०	अधिनियम, नियम, रेगुलेशन का नाम।
1	पुलिस अधिनियम-1961
2	भारतीय दण्ड संहिता-1861
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4	उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन
5	उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल
6	साक्ष्य अधिनियम
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी(दण्ड एवं अपील)1991
8	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली)1999
9	वित्तीय हस्त पुस्तिका
10	समय-समय पर निर्गत शासनादेश
11	उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियाँ भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6- विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-

- 1- सेवा सम्बन्धी अभिलेख।
- 2- विशेष अपराध पत्रावली।
- 3- कानून व्यवस्था एवं आपराधिक स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियाँ।
- 4- वेतन-भत्ते आकस्मिकता निधि एवं बजट सम्बन्धी अभिलेख।
- 5- शिकायत निस्तारण सम्बन्धी अभिलेख।
- 6- गार्ड फाइल।
- 7- भवन मरम्मत सम्बन्धी अभिलेख।
- 8- परिक्षेत्र में पी०ए०सी० आवंटन सम्बन्धी अभिलेख।
- 9- पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख।

7- जनता की परामर्श दात्री समितियाँ जो संगठन में अर्न्तनिहित है:- शून्य।

8- बोर्ड परिषद, समितियाँ और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिए मौजूद है।

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9- अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका:-

पुलिस उप महानिरीक्षक, अलीगढ परिक्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन/मोबाईल नम्बर-

क्र० सं०	पदनाम/अधि०गण	नाम अधि०गण	आवास नं०	कार्यालय नं०	सी०यू०जी० नं०	मोबाईल नं०
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ परिक्षेत्र	श्री मोहित अग्रवाल	0571-2400404	0571-2400408	9454400392	-
2	कार्यालय नम्बर	-	-	0571-2400408	9454404726	-
3	परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता	-	-	-	-	-
4	गोपनीय सहायक	श्री सुबोध कुमार	-	0571-2400408	-	-
5	प्रधान लिपिक	श्री पारितोष शर्मा (कार्यवाहक)	-	0571-2400408	9454402814	-
6	जन सम्पर्क अधिकारी	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	-	0571-2400408	9454402809	-
7	वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ परिक्षेत्र	श्री जवाहर सिंह	-	0571-2400408	9454402817	-

टिप्पणी:- सी०यू०जी० मोबाईल नं० राजपत्रित अधिकारियों के पदनाम से आवंटित है जो यथावत रहेगा। कार्यालय का सी०यू०जी० मोबाईल नं० पदनाम से आवंटित है जो यथावत रहेगा।

10- अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक:-

क्र०सं०	पद	वेतनमान	मूल वेतन
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक,परिक्षेत्र अलीगढ।	37,400-67,000	55,290 (ग्रेड-पे सहित)
2	गोपनीय सहायक	9,300-34,800	30,600 (ग्रेड-पे सहित)
3	प्रधान लिपिक (एस०आई०एम०)	9,300-34,800	-
4	अवर अभियन्ता	-	-

11- बजट:-

क्र०सं०	लेखशीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015	
		अनुदान	व्यय
1	01-वेतन	23,18,000	15,53,083
2	03-महगाई भत्ता	28,85,700	15,28,227
3	06-अन्य भत्ता	2,09,500	1,74,602
4	12-फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	3,458	-
5	08-अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय	48,487	7,750
6	09 विद्युत/प्रकाश व्यय	38,600	-
7	11-स्टेशनरी का क्रय	9,194	-
8	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	5,517	-

12- सॉिसडी कलरुकरुड के नलषुडलन कल डंगः-

वरुतडलन डें वलडलड डें कुडुड उतुडलन कलरुकरुड डुरकललत नहुडु डुडु।

13- अधलनलडडलनुतरुगत नलडरलकुडु कुडु डुरदतुत सुवलधलरुडुडुः-

क0संड	कलरुडु	कलरुडुवलहुडु कलसकुडु सुतर सुडु	सडडलडलधल
1	सुडुनल डुरलडुत कलरुनल डुतु आडुवदन डुरतुर डुरलडुत कलडुडल डुडलनल	डुललस उडडडलनलरुडुकुडु/वलकक डुललस उडडडलनलरुडुकुडु	डुरलतः 10:00 डुडु सुडु 17:00 डुडु तक (रलककुडुडु अवकलशुडु कुडु डुडुडकर)
2	सुडुनल नलरुडुकुण कलरुनल कल सुथलन	उडुरुकुत	उडुरुकुत
3	सुडुनल डुरदलन कलडुडु डुडुनल कल सुथलन	उडुरुकुत	वललडुडुडुत 30 डुडुन तथल डुडुवलन रकुषल ँवु वुडुकुत कल सुवतनुतुरतल कुडु सडुडुनुध डें 48 डुडुणुडु।
4	सुडुनल नलरुडुकुण कलरुनल डुतु डुडुडल कल डुडुनल डुडुनल डुडुनलशल(10 रूडुडुडु डुरथडु डुडुणुडु कल डुडुशकलत 5 रूडुडुडु डुरतल 15 डुडुनलडु)	डुललस उडु डुडुडलनलरुडुकुडु कलरुडुडुडुडु कल आंकलक शलखल डें नडुद, लुक डुरलधलकलरुडु कुडु डुरलडुडुत डुडु डुडुडुडु कुकु डुडुडुडु डुडुडु।	उडुरुकुत
5	सुडुनल डुरलडुत कलरुनल डुतु डुडुडु डुडुनल डुडुनल डुडुनलशल कल वलवरण (10 रूडुडुडु डुरतल आडुवदन डुरतुर आुर डुरलरुडुडु कल रलखल कुडु नलकल कुडु वुडुकुतडुडु कुडु नलःशुलुकु)	उडुरुकुत	उडुरुकुत

नलतः- सुडुनल उडुलडुध न कलरुडुडु डुडुनल कल सुथलतल डें 250 रूडुडुडु डुरतलडुडुन कल डुडुसलडु सुडु डुडुडुनल (25,000 रूडुडुडु सुडु अधलक) डुडु डुडुडु डुडुगल।

13- सुंगठन डुडुडुल डुरदतुत डुडुडु, अधलकलरुडु डुरतुर तथल अधलकुडुतलरुडुडु कुडु डुरलडुतकलरुडुडुडु कल वलवरणः-

शुनुडु।

14- इलुकुडुडुनलक डुरलरूडु डें उडुलडुध कलरुडुडु डुडुडु सुडुनलः-

उकुत सुडुनल कुडु इलुकुडुडुनलक रूडु सुडु नलडुडुडु डुडुनल कुडु डुडुडु डुरलडुतल कुडु सडुडुनुध डें अवडुत कलरुडुडु डुडुडुगल।

16- लुक सुडुनल अधलकलरुडुडु कुडु नलडु व डुडुनलडुः-

डुललस उडुडुडुडुनलरुडुकुडु अलुडुगडु डुरलकुषुतुर कलरुडुडुडुडु डें लुक सुडुनल अधलकलरुडुडुडु कल नलडुडुकुत नलडुडुनललरुडुडुत डुरकलरु सुडु कल डुडुडु डुडु।

क0संड	रलडुडु डुनसुडुनल अधलकलरुडुडु	सडुडुडुडु डुनसुडुनल अधलकलरुडुडु कल डुडु	अडुडुलुडुडु अधलकलरुडुडु कल डुडु
1	डुललस उडुडुडुडुनलरुडुकुडु अलुडुगडु डुरलकुषुतुर अलुडुगडु डुरथलन ललडुडुकु	वलकक/डुललस उडुडुडुडुनलरुडुकुडु डुरलकुषुतुर अलुडुगडु	डुललस डुडुडुडुनलरुडुकुडु आडुरल डुडुन, उ0डुर0।

डुडुडुडुडु- सुडु0डुडु0डुडु डुडुडुडुडुल नडुडुडुडु रलकडुरतुरत अधलकलरुडुडुडु कुडु डुडु नलडु सुडु आडुवडुतल डुडु।

17- अनुडु कुडुडु वलडुडुत सुडुनलः-

शुनुडु।